


404



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-छतरपुर

निज - 1970-I-16

1. मुलिया पुत्री श्री हल्के काछी,
2. राजाराम पुत्र श्री सुकरता कुशवाह,
निवासीगण- ग्राम टीकुरी, तहसील
राजनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. जीवन पुत्र श्री जुगला कोदर,
2. धनीराम पुत्र श्री जुगला कोदर,
3. भागीरथ पुत्र सुकरता कुशवाह,
4. कन्हैया पुत्र श्री सुकरता कुशवाह,
5. मिजाजी पुत्र श्री सुकरता कुशवाह,
6. रतीबाई पुत्री श्री सुकरता कुशवाह,
7. कुंवर पुत्री श्री सुकरता कुशवाह,
8. गोरीबाई पुत्री श्री सुकरता कुशवाह,
निवासीगण- ग्राम टीकुरी, तहसील
राजनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री राजेश चव्हाण
द्वारा आज दि. 21.6.16 को
प्रस्तुत
[Signature]
वैलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को विधिवत् सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना जो आदेश दिनांक 05.05.2016 को पारित किया है, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश दिनांक 05.05.2016 पारित किया गया है, जो अधिकारितारहित है। क्योंकि भू-राजस्व संहिता 52 में किये गये नवीन संशोधन के अनुसार स्थगन आदेश अपील के अंतिम निराकरण तक नहीं किया जा सकता है चूंकि इस प्रकरण में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर

[Signature]
24/6/16

[Handwritten mark]

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1970-एक/2016

जिला छतरपुर

मुलिया विरूद्ध जीवन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 47/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 05-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: center;">(आर.के. जिन) सदस्य 18/03/19</p>